कार्यालय भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

नई दिल्ली:21.07.2017

संसद में प्रस्तुत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन – संघ सरकार (सिविल) बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 का कार्यान्वयन।

लेखापरीक्षा ने वित्तीय प्रबंधन, आईटीई अधिनियम के अनुपालन तथा अधिनियम, 2009 की मॉनीटरिंग एवं मूल्यांकन में कमियां पायी।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन 2017 की सं .23- संघ सरकार (सिविल) बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 का कार्यान्वयन को आज संसद में प्रस्तुत किया गया था।

बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम अथवा शिक्षा का अधिकार आरटीई अधिनियम, 2009 सभी बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बनाने के लिए 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। अधिनियम में प्रावधान है कि-6 14वर्ष के आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा की समाप्ति तक निकट के स्कूल में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार होगा। इसमें बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय एवं राज्य आयोगों जैसै स्वतंत्र निकायों का भी प्रावधान है, जिसके पास अर्द्ध-न्यायिक शक्तियां होगी एवं अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु मॉनीटरिंग का एक नया पहलू प्रस्तुत करेंगें।

समीक्षा के दौरान यह पाया गया था कि अधिनियम के वित्तीय प्रबंधन में कमियां थीं जैसे कि आगामी वर्षों के अथ शेषों का साथ वर्ष की समाप्ति पर अव्ययित शेषों से मेल नहीं खाना, निधियों का कम निर्गम, राज्य सरकारों के पास अधिक शेष बचे हुए थे एवं व्यय मापदण्डों का अनुपालन नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा प्रतिवेदन इस तथ्य को उजागर करता है कि आरटीई के अनुपालन से संबंधित मामले जैसे कि बच्चों के जन्म से लेकर 14 वर्ष तक की आयु के होने के अभिलेख अनुरक्षित/अद्यतित करने में 21

राज्यों/यूटी में स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा नियमित परिवार सर्वेक्षण नहीं किए गए थे। मॉनीटरिंग एवं मूल्यांकन के मुद्दे पर, प्रतिवेदन में पाया गया कि राष्ट्रीय सलाहकार परिषद जिसको अधिनियम के कार्यान्वयन पर सलाह देने का दायित्व सौंपा गया था, मुख्यतः अप्रभावकारी रही तथा नवम्बर 2014 से अस्तित्व में नहीं है।

महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष

(I) वित्तीय प्रबंधन

एसएसए के अंतर्गत बजट आबंटन हेतु राज्य प्रस्ताव निरतंर अधिक थे और इनका एसएसए मानदण्डों के अनुसार न होने के कारण परियोजना स्वीकृति बोर्ड (पीएबी) द्वारा इनमें कटौती की गई। भारत सरकार (जीओआई) के बजट प्रावधान पीएबी के अनुमोदित परिव्यय पर आधारित नहीं थी क्योंकि पीएबी द्वारा परिव्ययों के अनुमोदन हेतु समय-सूची जीओआई के बजट प्रक्रिया की अनुसूची से मेल नहीं खाती थी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय एमएचआरडी के के अनुसार उपयोग प्रमाण-पत्र वर्ष के अंत में अव्ययित शेष आगामी वर्षों के अथ शेष से मेल नहीं खाते थे।

(पैरा 2.3)

13वीं वित्त आयेाग के अंतर्गत निधियाँ जारी करने के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित व्यय मापदण्डों का अनुपालन न करने के कारण 15 राज्यों को ₹1909 करोड़ की सीमा तक कम निधियाँ जारी हुई।

(पैरा 2.4)

राज्य सरकार द्वारा वर्ष दर वर्ष प्रत्येक वित्त वर्ष के अंत में विशाल शेष रखना, कमजोर आंतरिक नियंत्रण का संकेतक था। प्रत्येक वर्ष के अंत में अप्रयुक्त अनुदान 35 राज्यों/यूटी में ₹12,259.46 करोड़ से ₹17,281.66 करोड़ के बीच थी।

(पैरा 2.5)

राज्य कार्यान्वयन समितियों द्वारा ₹10,984.85 करोड़, ₹15,053.63 करोड़ एवं ₹4474.79 करोड़ की विशाल बकाया अग्रिमों का क्रमशः 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16 के अंत तक समायोजन लम्बित था।

(पैरा 2.6)

नौ राज्यों द्वारा अनुसंधान, मूल्यांकन, मानीटरिगं एवं पर्यवेक्षण (आरईएमएस) निधियों का 9 से 65 प्रतिशत के बीच कम उपयोग किया गया था। इसके अतिरिक्त, विभिन्न राज्यों में अध्ययन वृद्धि कार्यक्रम तथा समुदाय संघटन से संबंधित निधियों का भी कम उपयोग पाया गया था।

(पैरा 2.11)

राज्य कार्यान्वयन समितियों के लेखाओं के प्रमाणीकरण हेतु वित्तीय प्रबंधन एवं प्रापण पर एसएसए की नियम-पुस्तक द्वारा निर्धारित समय-सीमा का सनदी लेखाकारों द्वारा पालन नहीं किया गया था।

(पैरा 2.13)

(II) आरटीई अधिनियम, 2009 का अनुपालन

बच्चों को नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में अनुच्छेद 21-ए जो के अंतर्गत सांविधानिक संविधान में संशोधन (दिसम्बर 2002) के सात वर्ष से अधिक, के पश्चात अप्रैल ्2010 में लागू हुआ।

(पैरा 3.1)

21 राज्यों/यूटी में स्थानीय प्राधिकारों द्वारा नियमित घरेलू सर्वेक्षण के माध्यम से, जन्म से 14 वर्ष आयु तक के बच्चों के रिकार्ड का वार्षिक अनुरक्षण/अद्यतन नहीं हो रहा था।

(पैरा 3.2)

महत्वपूर्ण निष्पादन संकेतकों जैसे नामांकन, प्रतिधारण, ड्रॉपआऊट आदि का निर्धारण करने के लिए एकीकृत जिला सूचना शिक्षा प्रणाली (यूडाईस) के अंतर्गत प्राप्त किया गया डाटा अधूरा/अशुद्ध था।

(पैरा 3.4, 3.5 एवं 3.6)

अधिनियम के तहत विशेष आवश्यकताओं वाले सभी योग्य बच्चों को परिकल्पित परिवहन, सहायता और उपकरणों जैसे लाभ, पांच राज्यों में प्रदान नहीं किए गए थे।

(पैरा 3.8)

यद्यपि अधिनियम में व्यवस्था थी कि तीन से छः वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क स्कूल-पूर्व शिक्षा प्रदान करने के लिए संबंधित सरकार आवश्यक प्रबंध करेगी, फिर भी पांच राज्यों में किसी प्रकार की स्कूल-पूर्व शिक्षा प्रदान नहीं की जा रही थी।

(पैरा 3.9)

चार राज्यों में प्रति बच्चा व्यय की अधिक/अनियमित प्रतिपूर्ति के मामले पाए गए थे। गैर-सहायता प्राप्त विद्यालय पांच राज्यों में मान्यता के बिना काम कर रहे थे। तेलंगाना राज्य में नौ विद्यालयों पर कैपिटीशन शुल्क लगाने के लिए कुल ₹15.29 करोड़ का जुर्माना वसूल नहीं किया गया था।

(पैरा 3.10, 3.12, एवं 3.13)

अधिनियम की धारा 16 में परिकल्पित है कि किसी भी बच्चे को प्राराम्भिक शिक्षा की समाप्ति के पूर्व किसी कक्षा में रोका नहीं जाएगा अथवा उन्हें स्कूल से नहीं निकाला जाएगा। 14 वर्षों से अधिक की आयु के बच्चों को 15 राज्यों में अधिनियम का उल्लंघन करते हुए प्रारम्भिक कक्षाओं में रोका गया था।

(पैरा 3.11)

11 राज्यों में प्रतिकूल छात्र शिक्षक अनुपात (पीटीआर)/अधिक अध्यापकों/एकल अध्यापकों के मामले स्कूलों में देखे गए थे, जो प्रदान की जा रही शिक्षा की गुणवत्ता और सीखने के माहौल को प्रभावित करते है।

(पैरा 3.14)

अधिनियम की धारा 25(2) के साथ पठित धारा 27 के उल्लंघन में नौ राज्यों में गैर-शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए अध्यापकों की तैनाती की गई थी।

(पैरा 3.16)

12 राज्यों/यूटी में पाठ्यपुस्तकों, यूनिफॉर्म, कंप्यूटरों आदि के अनियमित प्रापण के मामले पाए गए थे।

(पैरा 3.17 एवं 3.20)

यद्यपि अधिनियम में तीन वर्षों अर्थात् 31 मार्च 2013 तक स्कूल के भवन का अनिवार्य प्रावधान था फिर भी इसका निर्माण नहीं हुआ था।

(पैरा 3.18)

18 राज्यों/यूटी में, यूडीआईएस और नमूना जायं किए गए विधायों के भौतिक सत्यापन के दौरान लेखापरीक्षा द्वारा एकत्रित डाटा के बीच अंतर पाया गया था।

(पैरा 3.22)

(III) मॉनीटरिंग एवं मूल्यांकन

राष्ट्रीय सलाहकार परिषद जिसे अधिनियम के कार्यान्वयन पर सलाह देने का उत्तरदायित्व सौंपा गया था, मुख्य रूप से अप्रभावी रहा और नवम्बर 2014 से अस्तित्व नहीं थी।

(पैरा 4.2)

राज्यों को सहायता प्रदान करने हेतु राज्य सलाहकार परिषद (एसएसी) सात राज्यों /यूटी में गठन नहीं किया गया था। 11 राज्यों/यूटी ने एसएसी की एक भी बैठक नहीं की थी।

(पैरा 4.3)

12 राज्यों/यूटी में लेखापरीक्षा में नमूना जांच किए गए 3 से 88 प्रतिशत स्कूलों में स्कूल प्रबंधन समितियों (एसएमसी) का गठन नहीं हुआ था। यह पाया गया कि उन मामलों में भी जहां एसएमसी का गठन किया गया था, उनका गठन विलंब के साथ किया गया था और बैठकों में कमी थीं। स्कूल विकास योजनाओं की तैयारी में भी कमियां पाई गई थीं।

(पैरा 4.4)

11 राज्यों में, संबंधित सरकारों के अधिकारियों/स्टाफ जैसे कि ब्लॉक स्तरीय अधिकारी/ब्लॉक संसाधन केन्द्र/समूह संसाधन केन्द्र आदि द्वारा योजना के अंतर्गत आवधिक पर्यवेक्षण सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित जांच नहीं हुई थीं।

(पैरा 4.5)

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में लंबित शिकायतों के निपटान में विलंब और 12 राज्यों में बाल अधिकार संरक्षण आयोगों में हेल्पलाइन स्थापित न होने के मामले पाए गए थे।

(पैरा 4.6)

2010-11 से 2015-16 के दौरान, केन्द्रीय स्तर पर आरटीई योजना के कार्यान्वयन की आंतरिक लेखापरीक्षा न करना तथा सात राज्यों/यूटी में आंतरिक लेखापरीक्षा करने में कमियाँ को पाया गया था।

(पैरा 4.8)

(IV) अनुशंसाएं

लेखापरीक्षा निष्कर्षों के आधार पर, निम्नलिखित अनुशंसाएं की गई हैंः

I. वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट (एडब्ल्यूपी एवं बी) को अंतिम रूप देने की समय सीमाओं की समीक्षा की जाए ताकि एडब्ल्यूपी एवं बी से निविष्टियों को प्रभावी रूप से प्रयुक्त करने के लिए इसे जीओआई एवं राज्यों के बजट निर्माण प्रक्रिया के समरूप किया जा सके।

II. मंत्रालय को आगामी वर्षों के अथशेष के साथ वर्ष के अंत में अव्ययित शेषों का समाधान करना चाहिए।

III. कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा बकाया अग्रिमों की नियमित समीक्षा एवं समायोजन किया जाए।

IV. सूचीबद्ध सनदी लेखाकार (सीए) एवं राज्य कार्यान्वयन समितियाँ (एसआईएस), वित्त प्रबंधन एवं प्रापण (एफएमवपी) नियम पुस्तक का सख्ती से पालन करें और समय अनुसूची का पालन करें।

V. राज्य सरकार, सभी पात्र बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा के प्रावधान को सुनश्चित करने हेतु राज्य में पात्र बच्चों की पहचान करने के लिए घरेलू सर्वेक्षण करवाएं।

VI. अधिनियम के उद्देश्य के अनुपालन में ड्रापआऊट दर को समाप्त करने के लिए सभी पात्र बच्चों के नामाकंन को सुनिश्चित करने के लिए विशिष्ट उपाय किये जाएं।

VII. संबंधित सरकार विद्यालय में शिक्षकों की आवश्यकता का पुर्नमूल्यांकन करें और शिक्षकों की कमी/अधिकता की संभावना को निम्नतम करने की दृष्टि से शिक्षकों की तैनाती के लिए पद्धति बनाए क्योंकि बच्चों को उचित व उपयोगी शिक्षा प्रदान करना, शिक्षकों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

VIII. संबंधित सरकार नियमित रूप से मुफ्त पाठ्य-पुस्तकों की आपूर्ति एवं संवितरण की समीक्षा करें।

IX. पाठ्य पुस्तकों एवं वर्दियों के प्रापण को प्राप्तियोंके उचित लेखाकंन तथा लक्षित विद्यालयों/छात्रों को संवितरण को सुनिश्चित करने के लिए और अधिक युक्ति संगत किया जाए।

X. आरटीई कार्य योजना के अनुसार अवसंरचनागत आवश्यकताओं को तुरंत उपलब्ध कराया जाए।

XI. राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् का पुनर्गठन किए जाने की आवश्यकता है।

XII. राज्य सरकारें सुनिश्चित करें कि विद्यालय प्रबंधन समितियों (एसएमसी) का गठन सभी विद्यालयों में हुआ है, विद्यालय विकास योजनाएँ सभी एसएमसी द्वारा तैयार की गई हैं और योजना के प्रबंधन एवं मॉनीटरिंग में सुधार के लिए निर्धारित संख्या में एसएमसी बैठकें की जा रही हैं।

XIII. मानीटरिंग तंत्र को सुदृढ़ करने की आवश्कता है और ब्लॉक संसाधन केन्द्रों एवं समूह संसाधन केन्द्रों द्वारा आवश्यक आवधिक निरीक्षण कराया जाए।

XIV. मुख्य लेखानियंत्रक यह सुनिश्चित करें कि केन्द्रीय स्तर पर योजना की आंतरिक लेखापरीक्षा को नियमित रूप से संचालित किया जाए।